

2024 का विधेयक संख्यांक 41

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 89 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

5                    2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की धारा 89 का  
उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:- संशोधन।

10                    "परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, भौगोलिक अवस्थान, परिवहन और  
संचार के साधनों की कमी तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए,  
पच्चीस हजार से कम जनसंख्या वाली पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए  
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी। "।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उप-धारा (2) के अधीन उपबंध के अनुसार जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्तियों की दर पच्चीस हजार या उसके किसी भाग की जनसंख्या हेतु एक सदस्य पर होगी। अधिनियम में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक प्रसुविधा के दृष्टिगत किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सृजित करने हेतु कोई उपबंध नहीं है। इसलिए ऐसा उपबंध करने हेतु अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरुद्ध सिंह)

प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला:

तारीख.....2024.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—  
-----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(अनिरुद्ध सिंह)  
प्रभारी मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:  
तारीख: 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक: 4) के उपबन्धों के उद्घरण।

धारा:

89. जिला परिषद् का गठन.—(1) प्रत्येक जिला परिषद् का गठन निम्नलिखित से होगा:—

- (क) इस अधिनियम के अधीन जिले में अवधारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;
- (ख) सम्पूर्ण जिले या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य और विधान सभा सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले में आते हैं ;
- (ग) राज्य सभा के सदस्य, जहां से वे जिले में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;
- (घ) जिले में पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष :

परन्तु जब तक खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या खण्ड (क) के अधीन के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक हो जाए तो, खण्ड (घ) के अधीन केवल सदस्यों के पांचवें भाग को चक्रानुक्रम में, लाट द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए चयनित किया जाएगा जैसी विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए कि अध्यक्ष जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य था, पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में उसकी शेष पदावधि के दौरान, दूसरी अवधि के लिए सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिले में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, पच्चीस हजार या उसके भाग की जनसंख्या के लिए एक सदस्य के हिसाब से, अधिसूचित की जाए:

परन्तु दो लाख पचास हजार से अनधिक जनसंख्या वाले जिले में, जिला परिषद् में कम से कम दस निर्वाचित सदस्य होंगे :

परन्तु यह और कि सरकार जिले की जनसंख्या पर विचार किए बिना, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुसूचित क्षेत्र में जिला परिषद् को लागू होंगे।

(3) जिला परिषद के सभी सदस्यों को, चाहे वे जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित किए गए हों या नहीं, जिला परिषद की बैठक में मत देने का अधिकार होगा सिवाय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन या हटाने के जिसमें केवल निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होगा।

(4) जिला परिषद में, निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे:-

(क) अनुसूचित जाति ; और

(ख) अनुसूचित जनजाति ;

और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का जिला परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुछ स्थानों की संख्या से अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा जो जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, जिले की कुल जनसंख्या से है।

(5) उप-धारा (4) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या की आधी, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

(5-क) प्रत्येक जिला परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या की आधी (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है), महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

(6) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला परिषद में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका जिला परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस जिला परिषद में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो और इस उप-धारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के आधे स्थान पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

(7) उप-धारा (4), (5), (5-क) और (6) के अधीन आरक्षित स्थानों का जिले के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन चक्रानुक्रम से, ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**BILL NO. 41 OF 2024**

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)



**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 89.

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ  
(AMENDMENT) BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,  
1994 (Act No. 4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj Short title.  
(Amendment) Act, 2024.

5 2. In section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, Amendment  
1994, in sub-section (2) after the second proviso, the following shall be of section  
added, namely:— 89.

10 “Provided also that the State Government may, after having  
due regard to the geographical location, lack of means of  
transportation and communication, and for administrative  
convenience, notify a territorial constituency for the Backward  
Gram Panchayats, having a population less than twenty-five  
thousand.”

## STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

As per the provision under sub-section (2) of section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the number of elected members of a Zila Parishad shall consist of persons elected from the territorial constituencies in the district at a rate of one member for the population of twenty-five thousand or part thereof. There is no provision in the Act to create a territorial constituency in view of the difficult geographical conditions, lack of means of transportation and communication, and administrative inconvenience. Therefore, to make such provision, an amendment is required in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIRUDH SINGH)  
*Minister-in-Charge.*

DHARAMSHALA:

The ....., 2024

---

## FINANCIAL MEMORADNUM

-Nil-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

---

**HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).*

**(ANIRUDH SINGH)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

DHARAMSHALA:

THE .....2024,

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI  
RAJ ACT, 1994 (ACT NO. 4 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS  
AMENDMENT BILL.**

*Section:*

**89. Constitution of Zila Parishad.**—(1) Every Zila Parishad shall consist of—

- (a) the directly elected members from territorial constituencies in the district as determined under this Act;
- (b) the Members of the House of People and the Members of the State Legislative Assembly representing a part or whole of the district whose constituencies lie within the district;
- (c) the members of the Council of States, where they are registered as electors within the district; and
- (d) the Chairmen of all Panchayat Samitis in the district:

Provided that when the total number of members under clauses (b), (c) and (d) exceed the total number of members under clause (a), only one fifth of the members under clause (d) shall be selected by rotation for such period as the prescribed authority may determine, by lot. Subject to the condition that a Chairman who was a member under this clause for one term shall not be eligible to become member for a second term during the remainder of his term of office as the Chairman of Panchayat Samiti.

(2) The number of elected members of a Zila Parishad under clause (a) of sub-section (1) shall consist of persons elected from the territorial constituencies in the district as may be notified from time to time by the Government at the rate of one member for every twenty five thousand population or part thereof :

Provided that in a district having population of not exceeding two lakhs and fifty thousand, there shall be minimum of ten elected members in a Zila Parishad:

Provided further that the Government may irrespective of the population of the district, declare, by a notification, that the provisions of this section shall apply to a Zila Parishad in a scheduled area, subject to such exceptions and modifications as may be specified by it in such a notification.

(3) All members of Zila Parishad, whether or not elected by direct election from territorial constituencies in the district shall have the right to vote in the meeting of the Zila Parishad except in the election or removal of the Chairman and Vice-Chairman only the elected members shall have the right to vote.

(4) Seats shall be reserved in the Zila Parishad—

(a) for the Scheduled Castes; and

(b) for the Scheduled Tribes;

and number of seats so reserved shall bear, as nearly may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Zila Parishad as the population of the Scheduled Castes in the district or of the Scheduled Tribes in the district bears to the total population of the district.

(5) One-half of the total number of seats reserved under subsection (4) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.

(5-A) One-half (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Zila Parishad shall be reserved for women.

(6) The State Government may, by general or special order, reserve such number of seats for persons belonging to Backward Classes in a Zila Parishad, not exceeding the proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Zila Parishad as the population of the persons belonging to Backward Classes in that district bears to the total population of that district and may further reserve one-half of the total seats reserved under this sub-section for women belonging to Backward Classes.

(7) The seats reserved under sub-sections (4), 5 (5), (5-A) and (6) shall be allotted by rotation to different constituencies in the district in such manner as may be prescribed.